

स्कूलों में चाकू-छुरियों से सम्बन्धित नीति

प्रिय माता-पिता और देखभालकर्ता

NSW सरकार ने हाल ही में सामुदायिक सलाह-मशविरा किया, जहाँ उन्होंने स्कूलों में चाकू-छुरियों से सम्बन्धित नीति को संशोधित करने के लिए सिख समुदाय के मार्गदर्शकों और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ करीबी से काम किया।

विभाग समुदाय के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता है जिन्होंने सलाह-मशविरों के दौरान अपने विचार प्रकट किए और जिन्होंने संशोधित दिशा-निर्देशों के विकास में सहायता दी जो उन परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं जिनके अधीन विद्यार्थी स्कूल में चाकू-छुरी रख सकता है।

ये दिशा-निर्देश विभाग द्वारा उस काम को करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो यह यथोचित तौर पर विद्यार्थियों और कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को पेश आने वाले संभावित खतरों से बचाने के लिए कर सकता है और ये दिशा-निर्देश NSW समुदाय की विविधता का सम्मान करने और गैर-कानूनी भेदभाव के कृत्यों से बचने की विभाग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

स्कूलों में चाकू-छुरियों पर प्रतिबंध का बना रहना जारी है परन्तु यह विद्यार्थी को किरपान पहनने से नहीं रोकता है बशर्ते वे नए दिशा-निर्देशों के साथ अनुपालन करती हों। किरपान चाकू-छुरी जैसी दिखने वाली एक वस्तु है, जिसे अमृतधारी सिखों द्वारा अपनी आस्था की एक वस्तु के तौर पर पहना जाता है और इसका महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है।

एक अमृतधारी सिख के लिए स्कूल में किरपान पहनने की अनुमति दिए जाने के लिए, यह ज़रूरी है कि किरपान:

- छोटे आकार की, 16.5 सेंटीमीटर (करीब 6.5 इंच) की संपूर्ण लंबाई या इससे कम लंबाई की हो, और इसके कोई नुकीले किनारे या नोक न हों।
- इसका एक ब्लेड हो जो म्यान के भीतर सुरक्षित हो ताकि इसे बाहर न निकाला जा सके
- कपड़ों के नीचे पहनी जाए और अच्छी तरह से बंधी हो ताकि इसका प्रयोग न किया जा सके
- खेलकूद जैसी शारीरिक गतिविधि करते समय इसे निकाला जाए और सुरक्षित रूप से संभाल कर रखा जाए, या “शरीर के साथ बांधा जाए”।

ध्यान दें: “शरीर के साथ बांधा जाए” का अर्थ है कि इसे मज़बूत कपड़े में लपेटा जाए और स्पोर्ट्स बैंड या चमड़े की बेल्ट के साथ बांध कर रखा जाए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह फिसल कर निकल नहीं सकती है या इससे इसे पहनने वाले व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुँच सकती है।

यथोचित तौर पर पूछे जाने पर, विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह यह पुष्टि करे कि इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। सुरक्षा संबंधी किन्हीं चिताओं की चर्चा विद्यार्थी और उसके माता-पिता या देखभालकर्ताओं के साथ की जाएगी।

हालाँकि अमृतधारी सिख किरपान पहन सकते हैं परन्तु उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए स्कूल पर इसका प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

विद्यार्थियों को किसी अन्य परिस्थितियों में स्कूल में चाकू-छुरी रखने की अनुमति नहीं है बशर्ते कि चाकू-छुरी का प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो (जैसे कि फूड टैक्नोलॉजी की प्रैक्टिल कक्षाओं के दौरान)।

जो विद्यार्थी स्कूल के तुरंत बाद TAFE कक्षा में भाग लेते हैं सम्भवतः वे स्कूल में चाकू-छुरी ला सकते हैं और उनके लिए दिन की शुरूआत में किसी बक्से या स्यान में रखकर चाकू-छुरी को स्कूल के कार्यालय पर सौंपना और दिन की समाप्ति पर इसे लेना ज़रूरी होगा।

नए दिशा-निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी <https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-schools> पर उपलब्ध है।

सादर सहित

प्रिंसिपल (Principal)

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि आपको और अधिक जानकारी की ज़रूरत है और अपनी पूछताछ में सहायता के लिए आपको दुभाषिए की ज़रूरत है, तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा (Telephone Interpreter Service) को 131 450 पर फोन करें और अपनी भाषा में दुभाषिए की मांग करें। ऑपरेटर को वह फोन नम्बर बताएँ जिसपर आप कॉल करना चाहते/चाहती हैं और ऑपरेटर बातचीत में आपकी सहायता करने के लिए लाइन पर दुभाषिए को जोड़ेगा। इस सेवा के लिए आप से शुल्क नहीं लिया जाएगा।